न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 17 वर्ष 2024

आवेदक– सुगिया देवी		केता– रेखा देवी	
ग्राम– तिरला	पो0–तिरला	ग्राम– तिरला	पो0–तिरला
थाना– महुआटांड	जिला–बोकारो	थाना– महुआटांड	जिला–बोकारो

देश की क्र0सं0 तारीख 01 | | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख 03

12/12/24

आदेश

यह वाद आवेदिका सुगिया देवी, पति–स्व0 ललीता रविदास, वर्तमान पता–ग्राम–तिरला, पो0–तिरला, थाना–महुआटांड, जिला–बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	भूमि दर्जा
तिरला	43	20	173	65 डी0	51 डी0	रैयती वर्तमान स्वरूप धान खेत
			174	04 डी0	04 डी0	रैयती वर्तमान स्वरूप धान खेत
			175	160 डी0	09 डी0	रैयती वर्तमान स्वरूप धान खेत
			183	100 डी0	18 डी0	रैयती वर्तमान स्वरूप टाँड
			349	72 डी0	18 डी0	रैयती वर्तमान स्वरूप टाँड
			187	102 डी0	25½ डी0	रैयती वर्तमान स्वरूप टाँड

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 5,09,000/–(पाँच लाख नौ हजार) रूपये में क्रेता रेखा देवी, पति–संतोष कुमार दास, वर्तमान पता–ग्राम–तिरला, पो0–तिरला, थाना–महुआटांड, जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 486/रा0, दिनांक 13.04.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी गोमिया के पत्रांक–669, दिनांक–31.08.2024 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनो जाति के चमार हैं। जो अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एंव क्रेता दोनो एक ही थाना एवं जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिकी की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में नथु चमार के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0– 35, भौलुम सं0–I पर ललीता चमार के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 1980–81 से 2023–24 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।
03. जमाबंदी रैयत से बिक्रेता का संबंध पति का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एंव बिकेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिकेता द्वारा अपने

बयान में बतलाया गया है कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में नथु चमार के नाम से दर्ज है सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0– 35, भौलुम सं0–I पर ललीता चमार के नाम से जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 1980–81 से 2023–24 तक निर्गत हैं। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैं:–

01. बिक्रेता– खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. केता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एंव अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता जाति के चमार हैं। जो अनुसूचित जाति वर्ग के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं केता दोनों एक ही थानान्तर्गत एवं जिला अन्तर्गत के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियान के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः सुगिया देवी, पति–स्व0 ललीता रविदास, वर्तमान पता–ग्राम–तिरला, पो0–तिरला, थाना–महुआटांड, जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि:–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
तिरला 43	20	173	0.64 ए0	0.51 ए0	तुलसी रविदास	कमल रविदास	योधिया मुण्डा	कमलु मुण्डा
		174	0.04 ए0	0.04 ए0	तुलसी रविदास	कमल रविदास	योधिया मुण्डा	कमलु मुण्डा
		175	1.60 ए0	0.09 ए0	तुलसी रविदास	कमल रविदास	योधिया मुण्डा	कमलु मुण्डा
		183	1.00 ए0	0.18 ए0	ओमनाथ साव	कमल रविदास वगै0	चतुर्भुज साव	फुलकुमारी देवी
		349	0.72 ए0	0.18 ए0	धर्मेन्द्र मुण्डा	तुलसी रविदास	योधा साव	छोटन राम वगै0
		187	1.02 ए0	0.25½ ए0	लोकनाथ प्रसाद	कमल रविदास वो छोटन रविदास	तुलसी रविदास	लोकनाथ प्रसाद

मो0 5,09,000/–(पाँच लाख नौ हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता रेखा देवी, पति–संतोष कुमार दास, पता–ग्राम–तिरला, थाना–महुआटॉड, जिला–बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.02.24 13:09:48 +05:30
Location: 10.93.6.142